प्रकाश हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 76/1999

याचिकाकर्ता: कुमारी अनीता सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण: मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं अन्य

आदेश की उदघोषणा हेतु दिनांक 13 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध्र करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 76/1999

याचिकाकर्ता: कुमारी अनीता सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपास्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री राकेश पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्रीमती अंजू आहूजा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं,नोटिस तामील होने के बावजूद।

आदेश

(13 जुलाई, 2012 को पारित किया गया)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता आदेश दिनांक 06.05.1998 (अनुलग्नक पी/5) को अभिखंडित करने की मांग की है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (उत्तरवादी क्रमांक 1) के प्रबंध निदेशक ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया था कि उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई थी और उसकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई गईं। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राअधिकारियों को उसे सभी परिणामिक लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 14.08.1995 से दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे शाखा कार्यालय, रायपुर में पदस्थ किया गया था ।तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने ज्ञापन दिनांक 29.11.1996 (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से विभिन्न जिलों में शाखा कार्यालय खोलने हेतु दिनांक 28.02.1997 तक अस्थायी रूप से विभिन्न पदों को स्वीकृत किया था । उक्त ज्ञापन की शर्त संख्या 6 में यह प्रावधान था कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य के विनिर्दिष्ट मानदंडों के तहत नियमित किया जा सकता है । उक्त नीतिगत निर्णय के अनुसरण में, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने नियमितीकरण के उद्देश्य से उम्मीदवारों की पात्रता के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया । समिति की सिफारिश उत्तरवादी क्रमांक 1 के समक्ष रखी गई और उसे स्वीकार कर लिया गया । इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सहित 18 कर्मचारियों की सेवाओं को आदेश दिनांक 29.07.1997 (अनुलग्नक पी/3) के माध्यम से नियमित किया गया, जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.09.1997 (अनुलग्नक पी/4) को अपने पद पर कार्यभार ग्रहण किया ।बाद में, दिनांक 06.05.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) द्वारा, याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना कोई पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए समाप्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (संक्षिप्त में अधिकरण), रायपुर पीठ के समक्ष याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अनुसार, चूंकि अधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए उक्त याचिका को दिनांक 10.12.1998 (अनुलग्नक पी/6) के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया। इसके बाद, दिनांक 06.01.1999 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, मामला इस न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे का यह तर्क है कि आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है । उत्तरवादी प्राअधिकारियों के कार्य दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण और मनमाने ढंग से किए गए हैं, तथा आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

उन्होंने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ कर्मचारी उत्तरवादीओं के यहाँ कार्य करते रहे, जबकि सिर्फ़ याचिकाकर्ता को अकेले बाहरी असंगत कारणों के आधार पर सेवा समाप्ति के लिए चुना गया। भले ही याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाई गई थी, तब भी याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने से पहले एक जांच की जानी चाहिए थी ।आगे यह तर्क दिया गया कि एक राजेंद्र सिंह, जिन्हें याचिकाकर्ता के साथ ही नियमित किया गया था, उनकी सेवा समाप्ति भी याचिकाकर्ता के समान ही की गई थी । उनकी रिट याचिका संख्या डबल्यू.पी. क्रमांक 2044/1998 को, इस न्यायालय ने दिनांक 16.11.1998 के आदेश द्वारा उनकी याचिका स्वीकार की और उनके सेवा समाप्ति को अवैध ठहराया, और उस कर्मचारी को पहले ही बहाल किया जा चुका है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री आहूजा यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता तीन आधारों पर नियमितीकरण की हकदार नहीं है। पहला, उत्तरवादी का संपूर्ण प्रतिष्ठान ही अपने आप में अस्थायी था; दूसरा, अनुबंध नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित दिनांक 29.11.1996 के ज्ञापन का खंड 6 याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है; और तीसरा, याचिकाकर्ता ने अपने नियमितीकरण की तिथि पर अनुबंधात्मक सेवा के 2 वर्ष पूरे नहीं किए थे । इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा अपने दैनिक कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों में अनियमितता एवं लापरवाही किए जाने के कारण आक्षेपित आदेश पारित किया गया था । जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसलिए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई।

6. उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि, जवाब दिया गया है । जवाब में, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले समाप्त कर दी गई थीं । चूंकि वह छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के समय सेवा में नहीं थी, इसलिए उसे छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित नहीं किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर जवाब पर उत्तरवादी क्रमांक 2 ने भी अवलंब लिया है और याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

7. अंततः, श्री पांडे ने यह प्रस्तुत किया इस याचिका की पोषणीयता के संबंध में उत्तरवादीओं द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी । अधिकरण के समक्ष दायर मूल आवेदन विचारणीय नहीं था क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 15(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत, उत्तरवादी क्रमांक 1 को एक स्वायत्त निकाय होने के कारण शामिल नहीं किया गया था । [इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार की स्थिति में, राजेंद्र सिंह द्वारा अधिकरण से मूल आवेदन वापस लेने और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के बाद उसे स्वीकार की गई थी । उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के *सरगुजा ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, म.प्र. ग्वालियर एवं अन्य*[1] और *हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाम नीलम*[2] में प्रतिपादित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

8. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. <u>पोषणीयता पर</u>**:** रिट याचिका की पोषणीयता के प्रश्न पर, यह सुस्थापित है कि यदि याचिका/आवेदन को बिना अनुमति मांगे किसी अन्य न्यायिक मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस लिया गया है, तो याचिकाकर्ता को अन्य न्यायिक मंच का सहारा लेने से नहीं रोका जा सकता । इसी तरह की स्थिति में, 'हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक' (पूर्वत) के मामले में उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, याचिका को इस आधार पर वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था कि इस आधार पर याचिकाकर्ता श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है । कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी । हालांकि, श्रम न्यायालय ने 'पूर्व न्याय' के सिद्धांत पर आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गलत ठहराया गया ।

10. *सरगुजा ट्रांसपोर्ट* (पूर्वत) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब रिट याचिका बिना अनुमति के वापस ले ली जाती है, तो उच्च न्यायालय में नई रिट याचिका विचारणीय नहीं होती है, हालांकि, अन्य उपचार जैसे कि वाद या भारत के संविधान के

[1] 1987 1 एस.सी.सी 5
[2] 2005 5 एस सी सी 91

अनुच्छेद 32 के तहत नया वाद या याचिका विचारणीय हो सकती है । इस प्रकार, याचिका वापस लेना 'पूर्व न्याय' के समान नहीं है । उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया था:-

"9......परंतु हमारा यह मत है कि संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 के अंतर्निहित सिद्धांत को न्याय प्रशासन के हित में रिट याचिका वापस लेने के मामलों में भी विस्तारित किया जाना चाहिए, पूर्व न्याय के आधार पर नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति के आधार पर जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है । यह पक्षकार \ को 'बेंच-हंटिंग' (अपनी पसंद की पीठ चुनने) की रणनीति अपनाने से भी हतोत्साहित करेगा । किसी भी स्थिति में, ऐसे मामले में याचिकाकर्ता को एक बार फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं है ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका विचारणीय है ।

12. <u>गुण-दोष पर:</u> याचिकाकर्ता की सेवा को चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, अनुबंध कर्मचारी के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद, आदेश दिनांक 29.07.1997 (अनुलग्नक पी/3) द्वारा नियमित किया गया था । इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी का नियमितीकरण नियमों के अनुसार नहीं था । हालांकि, नियमितीकरण के आदेश की शर्त संख्या 1 यह प्रावधान करती है कि किसी कर्मचारी की सेवा किसी भी समय एक महीने के नोटिस या नोटिस के बदले भत्ते के साथ एक महीने के वेतन पर समाप्त की जा सकती है । वर्तमान मामले में, सेवा से हटाने का आदेश एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले वेतन दिए बिना पारित किया गया था ।याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि उसका कार्य संतोषजनक नहीं था और नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी क्योंकि उसने अनुबंध के आधार पर दो साल की सेवा पूरी नहीं की थी ।जैसा कि नियुक्ति आदेश दिनांक 14.08.1995 (अनुलग्नक पी/1) से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता को दिनांक 14.08.1995 को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था । याचिकाकर्ता की सेवा 29.07.1997 (अनुलग्नक पी/3) को नियमित की गई थी ।इसमें कुछ दिनों की कमी थी । हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने दो साल की सेवा पूरी नहीं की थी, अतः उसे सेवा से हटाया जा सकता था । अधिक से अधिक,

चयन समिति की सिफारिश के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दो वर्ष पूरे करने तक नियमितीकरण की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता था । इस प्रकार, उत्तरवादीओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यह नियमों के विपरीत था क्योंकि याचिकाकर्ता ने दो साल की सेवा पूरी नहीं की थी, बिना किसी आधार के है और खारिज किए जाने योग्य है । ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि कार्य संतोषजनक न हो, तो किसी कर्मचारी की सेवा सुनवाई का अवसर दिए बिना समाप्त की जा सकती है ।अतः, याचिकाकर्ता की सेवा संतोषजनक न होने के आधार पर उसे हटाने का आधार विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है।

13. निर्विवाद रूप से, एक समान स्थिति में, यानी राजेंद्र सिंह के मामले में, जिन्हें दिनांक 06.05.1998 को सेवा से हटा दिया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रीट याचिका क्रमांक 2044/1998 (राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम) में दिनांक 16.11.1998 (अनुलग्नक पी/8) के आदेश द्वारा उक्त हटाए जाने का आदेश को अभिखंडित कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. निर्विवाद रूप से, हटाए जाने का आक्षेपित आदेश सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है । दीवानी (हानिकारक) परिणामों वाला कोई भी आदेश, यदि कर्मचारी (कर्मचारियों) को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है, तो वह दूषित माना जाता है (देखें *श्रवण कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*[3], *डी.के. यादव बनाम जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य*[4], *बासुदेव तिवारी बनाम सिदो कान्हू विश्वविद्यालय एवं अन्य*[5], *केनरा बैंक एवं अन्य बनाम देबाशिस दास एवं अन्य*[6], *विवेकानंद सेठी बनाम अध्यक्ष, जे एंड के बैंक लिमिटेड एवं अन्य*[7], *मोहम्मद सरताज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*[8], *इंदरप्रीत सिंह काहलों एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य*[9], *अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य*[10], *मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम वाई. टोकन सिंह एवं अन्य*[11], *जसवंत सिंह*

[3] ए.आई.आर 1991 एससी 310
[4] 1993 3 एससीसी 259
[5] ए.आई.आर 1998 एससी 3261
[6] 2003 4 एससीसी 557
[7] 2005 5 एससीसी 337
[8] 2005 एससीसी 315
[9] ए.आई.आर 2006 एस.सी 2571
[10] 2007 4 एससीसी 54
[11] 2007 4 एससीसी 65

प्रताप सिंह जडेजा बनाम राजकोट नगर निगम एवं अन्य[12], *नेहरू युवा केंद्र संगठन बनाम महबूब आलम लश्कर*[13], *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह (मृतक) विधि प्रतिनिधियों के माध्यम से*[14], *कु. पूनम एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[15] *और मृत्युंजय शुक्ला एवं अन्य बनाम नगर निगम रायपुर एवं अन्य*[16])।

15.जैसा कि ऊपर बताया गया है, विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, और पूर्वगामी के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 06.05.1998 (अनुलग्नक पी/5) का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है।

16.<u>पिछला वेतन के संबंध में</u>**:** याचिकाकर्ता द्वारा लाभकारी नियोजन के संबंध में कोई तर्क नहीं दी गई है, पिछले वेतन के भुगतान के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।यह सुस्थापित है कि हटाए जाने का आदेश को अभिखंडित करने का अर्थ पूर्ण पिछले वेतन के साथ बहाली नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.1998 द्वारा सेवा से हटा दिया गया था और इस प्रकार यह मामला विचरण हेतु लंबित रहा है, न्याय के हित में यह उचित होगा यदि याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से हटाए जाने की तिथि से उसकी बहाली तक 30% पिछला वेतन प्रदान किया जाए । तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है।

18.परिणामस्वरूप,याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है, तथा पक्षकार अपना स्वयं का व्यय वहन करेंगे ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

[12] 2007 10 एससीसी 71
[13] 2008 2 एससीसी 479
[14] 2008 7 एससीसी 405
[15] 2008 2 सी.जी.एल.जे 366
[16] 2009 1 सी.जी.एल.जे 97

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur